न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरू (राज.)

पीठासीन अधिकारी— ओमप्रकाश वर्मा, आर.ए.एस.
राजस्व वाद संख्या : 30 / 2024
निर्णय दिनांक : 09.05.2024
GCMS NO : 2024/39

रतनलाल प्रजापत पुत्र मूणा राम जाति प्रजापत निवासी ग्राम करबा छापर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

................वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ जिला चूरू

.................प्रतिवादी

दावा बाबत रेकॉर्ड दुरूस्ती अन्तर्गत धारा 88

उपस्थित :—

1. वादी अधिवक्ता सुलतान सिंह उपस्थित
2. प्रतिवादी पेरोकार राज उपस्थित।

निर्णय

संक्षिप्त में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि यह कि वादी के संयुक्त खातेदारी में स्थित खेत खसरा संख्या 318, खसरा संख्या 341 व खसरा संख्या 98 में दर्ज स्थित है जिसमें वादी का नाम रतूराम पुत्र मुणाराम है। जिन्हे वाद में वादगत खेतों के नाम से सम्बोधित किया है।

यह कि वादी का वास्तविक व सही नाम रतनलाल प्रजापत पुत्र मुणाराम है जबकि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रतूराम पुत्र मुणाराम गलत अंकित है। वादी का नाम आधार कार्ड, पहचान पत्र व राशन कार्ड, जनआधार कार्ड आदि में सही नाम रतनलाल पुत्र मुणाराम दर्ज है।

वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने के कारण राजस्व से सम्बन्धित मिलने वाले सरकारी फायदों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है इसलिए वादी को नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त करवाना आवश्यक हो गया है। जिसके लिए वह कानूनी अधिकारी है।

वादी का खेत वाके रोही छापर तहसील सुजानगढ़ में स्थित होने के कारण वाद का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार श्रीमान को प्राप्त है। वादी का नाम दुरस्त किया जावे।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सुजानगढ़ जिला-चूरू

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादगत भूमि में राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम रतुराम पुत्र मूणाराम दर्ज है। जबकि वादी के दस्तावेजों में नाम रतनलाल पुत्र मूणाराम दर्ज है। रतूराम पुत्र मूणाराम व रतनलाल पुत्र मूणाराम दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हैं अतः वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रतनलाल पुत्र मूणाराम दर्ज किया जाना उचित है।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड आदि में भी वादी का नाम रतनलाल पुत्र मूणाराम ही है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, तथा संलग्न दस्तावेजात के अनुसार वाद वादी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

दावा वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि खेत खसरा संख्या 318 रकबा 3.5026 हैक्टेयर, खसरा संख्या 341 रकबा 5.5132 हैक्टेयर व खसरा संख्या 98 रकबा 2.3519 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 11.3677 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम छापर में दर्ज रतुराम पुत्र मुणाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी छापर खातेदार के स्थान पर रतनलाल पुत्र मूणाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी छापर खातेदार दर्ज किया जावे। रहन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि यथावत रहे। प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से सुनाया गया।

हस्ताक्षर

ओमप्रकाश वर्मा
उपखण्ड अधिकारी
सुजानगढ़ (चूरू)

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
सुजानगढ़ जिला-चूरू